समूह 'ख' एवं 'ग' संवर्ग के लिए स्थानांतरण एवं पदस्थापना नीति

मुख्यालय के परिपत्र संख्या 01-Staff Wing/2014, No. 10-Staff (App-II)/63-2013, दिनांक 06.01.2014 के में विहित प्रावधानों के अनुपालन में कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ के लिए निम्नानुसार स्थानांतरण एवं पदस्थापना नीतितैयार की गई है:-

1. समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारियों के लिए स्थानांतरण एवं पदस्थापना समिति के सदस्य उप महालेखाकार/वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन), कार्यालय के एक अन्य समूह अधिकारी एवं लेखा अधिकारी /वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशासन) होंगे। समूह 'क' अधिकारियों में से वरिष्ठ समिति के अध्यक्ष होंगे। महालेखाकार /प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी होंगे।
2. समूह 'ग' अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण एवं पदस्थापना समिति के सदस्य लेखा अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशासन) एवं दो अन्य समूहों के लेखा अधिकारी /वरिष्ठ लेखा अधिकारी होंगे। तीनों में से सबसे वरिष्ठ सदस्य समिति के अध्यक्ष होंगे। उप महालेखाकार /वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन) स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी होंगे। लेखा अधिकारी /वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशासन) के अतिरिक्त समिति के दो अन्य सदस्यों का नामांकन महालेखाकार महोदय के अनुमोदन से किया जाएगा।
3. समिति के सदस्य प्रत्येक केलेण्डर वर्ष के जनवरी माह में स्थानांतरण एवं पदस्थापना संबंधी विचार हेतुबैठक करेंगे।
4. नए भर्ती किए गए कर्मचारियों के पदस्थापना के संबंध में प्रशासन द्वारा विभिन्न समूहों में रिक्तियों के आधार पर महालेखाकार महोदय के अनुमोदन से निर्णय लिया जाएगा। इसी प्रकार पदोन्नति के मामले में भी प्रशासन द्वारा विभिन्न समूहों में रिक्तियों के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे।
5. वर्तमान में इस कार्यालय में दो समूह हैं – (i) प्रशासन, निधि एवं पेंशन एवं (ii) लेखा एवं व्ही. एल.सी.। यद्यपि स्थानांतरण एवं पदस्थापना के उद्देश्य से प्रशासन को एक अलग समूह के तौर पर लिया जाएगा।
6. इस संबंध में यथासंभव प्रयास किया जाएगा कि किसी भी संवर्ग के कोई भी अधिकारी/कर्मचारीएक ही समूह में 05 वर्ष से अधिक अवधि तक पदस्थापित न रहें। उक्त प्रयास के अतिरिक्त यह भी ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी अधिकारी /कर्मचारी एक ही अनुभाग में 03 वर्ष से अधिक अवधि तक पदस्थापित न रहें।
7. अत्यावश्यक कार्य होने अथवा प्रशासनिक कारणों से उक्त दिशा-निदेशों में शिथिलता प्रदान की जा सकती है। यद्यपि, इस प्रकार के विशेष प्रकरणों में विस्तृत विवरण औचित्य के साथ दर्ज किया जाना चाहिए।
8. उपरोक्त दोनों समितियों द्वारा किया गया स्थानांतरण एवं पदस्थापना सामान्यतया प्रत्येक वर्ष के 01 अप्रैल से प्रभावी होगा। हालांकि जून 2016 से पूर्व तक कोई भी स्थानांतरण एवं पदस्थापना समिति अस्तित्व में न

होने के कारण वर्ष 2016 में समिति की बैठक अगस्त 2016 में रखी गई है, ताकि इस प्रकार के प्रकरणों पर विचार किया जा सके। इसके पश्चात स्थानांतरण एवं पदस्थापना समिति की बैठक पूर्व में उद्धृत कंडिकाओं के अनुसार प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में की जाएगी। केवल असाधारण परिस्थितियों में ही समिति की बैठक एक से अधिक बार होगी।

9. एक ही समूह के अंतर्गत स्थानांतरण कि शक्तियाँ संबन्धित समूह के समूह अधिकारी में विहित होंगी। इस प्रकार के स्थानांतरण के लिए प्रकरण समिति के पास नहीं भेजी जानी चाहिए। यद्यपि एक समूह से दूसरे समूह में स्थानांतरण, शाखा अधिकारियों के स्थानांतरण हेतु महालेखाकार /प्रधान महालेखाकार महोदय का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

हस्ता:/-

वरिष्ठ उप महालेखाकार /प्रशासन